



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07062024-254605  
CG-DL-E-07062024-254605

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4  
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 406]  
No. 406]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 7, 2024/ज्येष्ठ 17, 1946  
NEW DELHI, , FRIDAY, JUNE 7, 2024/JYAISHTHA 17, 1946

भारतीय मानक ब्यूरो  
(उपभोक्ता मामले विभाग)  
अधिसूचना  
नई दिल्ली, 06 जून, 2024

सं सीएमडी-2/जी-18.—भारतीय मानक ब्यूरो (अनुरूपता मूल्यांकन) विनियम, 2018 की अनुसूची-II की स्कीम-X के पैरा 5 के अनुसरण में, ब्यूरो एतद्वारा निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित शुल्क को अधिसूचित करता है, जो इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से लागू होगा, अर्थात्:-

क) ब्यूरो संख्या सीएमडी-2/जी-18 दिनांक 24 मई 2023 की अधिसूचना की "अनुसूची" में -

i) नोट 3 के तहत उप-पैरा 1 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा:-

“(1) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए 20% की छूट।”

ii) नोट 3 के तहत उप-पैरा 2 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा:-

“(2क) सूक्ष्म पैमाने के उद्यमों के लिए वर्धित छूट - इस अधिसूचना की तिथि से 31 मई 2026 तक, बड़े पैमाने के उद्यमों द्वारा देय फीस में 80% की रियायत लागू होगी।

(2ख) लघु पैमाने के उद्यमों के लिए वर्धित छूट - इस अधिसूचना की तिथि से 31 मई 2026 तक, बड़े पैमाने के उद्यमों द्वारा देय फीस में 50% की रियायत लागू होगी।”

iii) नोट 3 के तहत उप-पैरा 3 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा:-

“(3) स्टार्ट-अप उद्यमों के लिए वर्धित छूट - इस अधिसूचना की तिथि से 31 मई 2026 तक, बड़े पैमाने के उद्यमों द्वारा देय फीस में 80% की रियायत लागू होगी।”

iv) नोट 3 के तहत उप-पैरा 4 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा:-

“(4) महिला व्यवसायी उद्यमों के लिए वर्धित छूट - इस अधिसूचना की तिथि से 31 मई 2026 तक, उद्यमों के लागू स्तर, यानी सूक्ष्म या लघु या मध्यम पैमाने द्वारा देय वार्षिक न्यूनतम मुहरांकन फीस में 10% की अतिरिक्त रियायत लागू होगी।”

**नोट:** मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में सीएमडी-2/जी-18 दिनांक 24 मई 2023 के माध्यम से प्रकाशित की गई थी।

एच. जे. एस. पसरीचा, वैज्ञानिक जी और उप महानिदेशक (प्रमाणन)

[विज्ञापन-III/4/असा./175/2024-25]

## BUREAU OF INDIAN STANDARDS

(Department of Consumer Affairs)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 06<sup>th</sup> June, 2024

**No. CMD-2/G-18.**—In pursuance of paragraph 5 of Scheme-X of Schedule-II of Bureau of Indian Standards (Conformity Assessment) Regulations, 2018 and the notification of the Bureau No. CMD-2/G-18 dated 24th May 2023, the Bureau hereby makes the following amendments in the said notification which shall come in force from the date of notification, namely:-

a) In the “SCHEDULE” of the notification of the Bureau No. CMD-2/G-18 dated 24th May 2023 –

i) the sub-paragraph 1 under Note 3 shall be substituted, namely:-

“(1) For micro, small and medium scale enterprises, concession of 20%.”

ii) the sub-paragraph 2 under Note 3 shall be substituted, namely:-

“(2A) **Enhanced concession for a micro scale enterprise** - From the date of this notification till 31 May 2026, a concession of 80% in the fee payable by the large scale enterprises shall be applicable.

“(2B) **Enhanced concession for a small scale enterprise** - From the date of this notification till 31 May 2026, a concession of 50% in the fee payable by the large scale enterprises shall be applicable.”

iii) the sub-paragraph 3 under Note 3 shall be substituted, namely:-

“(3) **Enhanced concession for a start-up enterprise** - From the date of this notification till 31 May 2026, a concession of 80% in the fee payable by the large scale enterprises shall be applicable.”

iv) the sub-paragraph 4 under Note 3 shall be substituted, namely:-

“(4) **Enhanced concession for a women entrepreneur enterprise** - From the date of this notification till 31 May 2026, an additional concession of 10% in the fee payable by the applicable scale of enterprises, i.e. either micro or small or medium scale, shall be applicable.”

**Note:** The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Sec 4, vide CMD-2/G18 dated 24th May 2023.

H. J. S. PASRICHA, Scientist G and Dy. Director General (Certification)

[ADVT.-III/4/Exty./175/2024-25]